संख्या– 1678 /69–1–12–68(बजट)/ 09

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2012

विषय : जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के उपघटक आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कतिपय परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–209/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2012–13, दिनांक 02.05.2012, पत्र संख्या–210/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2012–13, दिनांक 02.05.2012, पत्र संख्या–211/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2012–13, दिनांक 02.05.2012, पत्र संख्या–214/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2012–13, दिनांक 02.05.2012 व पत्र संख्या–217/76/एक/आईएच0एस0डी0पी0/2012–13, दिनांक 02.05.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के उपघटक आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत तालिका में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु अनुदान संख्या–37 से उनके सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद / परियोजना	कुल आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के आवासों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि।
1	2	3	4	5
1.	सन्तकबीर नगर / जवाहर नगर	72	60	**166.74**
2.	बहराइच / सलारगंज	336	176	**415.37**
3.	बिजनौर / झालू	56	28	**75.16**
4.	गाजियाबाद / अर्थला	208	119	**321.60**
5.	बरेली / नवाबगंज	48	48	**137.50**

I. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतयाः पालन किया जायेगा।

II. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने के दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–8–1332/दस–12, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

श्री योगेन्द्र (A00)
कृपया अविकृत Website पर Load करें

संयुक्त निदेशक
13/9/12

कृ०प०उ०

संख्या– 1678 (1)/69–1–12–68(बजट)/08, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संतकबीरनगर, बहराइच, बिजनौर, गाजियाबाद व बरेली।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग–4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उपसचिव।

D:\IHSDP PROJECT\G.O.-IHSDP.doc